

**संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें**  
स्वास्थ्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, जिला रायपुर  
छत्तीसगढ़

क्र. / प्रशि. / 14 / 01 / 23 / 72 / 307

नवा रायपुर, दिनांक ०६/०९/2023

**छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय एवं निजी जनरल नर्सिंग मिडवायफरी (GNM) प्रशिक्षण केन्द्रों के शासकीय व निजी नियतांश की सीटों में प्रवेश सत्र 2023-24 हेतु ऑनलाईन काउंसिलिंग की सूचना**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित जनरल नर्सिंग मिडवायफरी (GNM) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रदेश के शासकीय एवं निजी जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की समस्त सीटों की संख्या, समय-सारिणी के अनुसार ऑनलाईन काउंसिलिंग की जायेगी। जनरल नर्सिंग मिडवायफरी (जी.एन.एम.) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राजपत्र चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 21-01/2019/नौ/55-4, अटल नगर दिनांक 07 मई 2019 एवं संशोधन दिनांक 2 फरवरी 2022 के अनुसार संपादित की जाएगी। ऑनलाईन काउंसिलिंग के लिए विज्ञापन हेतु प्रवेश नियम एवं अन्य जानकारी विभागीय वेब-साईट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर उपलब्ध है तथा ऑनलाईन फार्म हेतु पंजीयन (Form Registration) [www.cgdme.in](http://www.cgdme.in) के वेब-साईट से किया जा सकता है, जो फार्म पंजीयन तक उपयोग होगा। प्रवेश हेतु शासकीय एवं निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों की जिलेवार सूची आरक्षण रोस्टर सहित परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

श्रेणीवार कुल रिक्त सीटों की संख्या निम्नानुसार है :-

शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में सीटों की संख्या अरक्षण रोस्टरवार											
क्र.	कुल सीट संख्या	सामान्य अभ्यर्थी हेतु (80%) आरक्षित सीट					सेवारत अभ्यर्थी हेतु (20%) आरक्षित				
		कुल	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
1.	480	384	129	34	170	51	96	31	8	43	14

उपरोक्त सीट केवल महिला हेतु निर्धारित है।

निजी जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्रों में सीटों की संख्या अरक्षण रोस्टरवार											
क्र.	कुल सीट संख्या	शासकीय नियतांश (40%)					प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) (60%)				
		कुल	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	कुल	*अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.
2.	1255	502	210	54	168	70	753	339	71	238	105

\* निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) के अनाक्षित श्रेणी में राज्य मूल निवासी एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रावीण्यतानुसार आबंटन प्राप्त कर सकते हैं।

अल्पसंख्यक निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की नियतांश एवं प्रबंधन (ओपन) सीटों का विवरण, जिसमें आरक्षण लागू नहीं होंगे :-						
क्र.	कुल सीट संख्या	शासकीय नियतांश (30%)			प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) (70%)	
3.	40	12	सीटें अपरिवर्तनीय होंगी			28

(नोट-आरक्षण के संदर्भ में माननीय उच्चन्यायालय छ.ग. का निर्णय बाध्यकारी होगा। सीटों की संख्या परिवर्तनीय है।)

## नियम व शर्त :-

01. जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण की कालावधि 3 वर्ष की होगी।

02. प्रशिक्षण प्राप्त करने का माध्यम अंग्रेजी होगा।

## 03. आयु-सीमा :-

- (1) न्यूनतम आयु - ऐसे आवेदक प्रवेश हेतु पात्र होंगे जिन्होंने 31 दिसम्बर 2023 को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- (2) आयु प्रमाणित करने के लिए 10+2 पद्धति से दसवीं या बारहवीं अंक सूची अथवा जन्म प्रमाण पत्रों में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- (3) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली का अधिसूचना पत्र क्रमांक F.No. 1-6/LT/2023-INC दिनांक 21.08.2023 अनुसार अधिकतम/ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

## 04. न्यूनतम अर्हताएं :-

- (1) बारहवीं उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत प्राप्तांको के साथ उत्तीर्ण एवं आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के उम्मीदवारों के लिये 35 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होगी।
- (2) सेवारत अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने परीक्षा वर्ष के 30 अप्रैल को नियमित कर्मचारी के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण की है।

## 05. आरक्षण :-

- (1) विभिन्न श्रेणियों की सीटों का निर्धारण छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, का पत्र क्रमांक एफ 13-3/2023/आ.प्र./1-3 नवा रायपुर, दिनांक 09.05.2023 एवं दिनांक 03.05.2023 तथा पत्र क्रमांक एफ 13-14/2009/आ. प्र./1-3 दिनांक 04.12.2012 के अनुसार किया गया है।
- (2) सेवारत अभ्यर्थियों हेतु शासकीय संस्थानों में 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।
- (3) निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) के अनारक्षित श्रेणी में राज्य मूल निवासी एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रावीण्यतानुसार आबंटन प्राप्त कर सकते हैं।

## 06. चयन प्रक्रिया :-

- (1) जी.एन.एम. का प्रवेश बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण के प्राप्तांक (बायलॉजी ग्रुप (PCB) को प्राथमिकता) की प्रावीण्यतानुसार किया जायेगा।
- (2) सेवारत आवेदकों के लिए अलग से प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी।
- (3) प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा कर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।
- (4) चयन राज्य स्तर से किया जाएगा। प्रावीण्य सूची के आधार पर राज्य स्तर पर ऑनलाईन काउन्सिलिंग कर सीटों की पूर्ति की जाएगी।

## 07. सेवारत हेतु आवश्यक निर्देश :-

- (1) सेवारत आवेदक भी ऑनलाईन काउंसिलिंग के लिए अपना आवेदन दिये गये वेब साइट में प्रस्तुत करेंगे।
- (2) सेवारत अभ्यर्थीगण, संबंधित विभाग के अग्रेषण अधिकारी से नियमानुसार सेवारत अभ्यर्थी की पात्रता हेतु अनुमति स्वयं प्राप्त करेंगे तथा कउंसिलिंग प्रक्रिया के भाग स्कूटनी में वांछित अनुमति होने पर ही पात्र होंगे। अनुमति प्राप्त कर स्कूटनी में प्रस्तुत किया जाना, पूर्णतः अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी।
- (3) शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय में प्रवेश तभी दिया जाएगा, जब शासकीय नर्सिंग महाविद्यालयों/विद्यालयों की सीटें भर जाएंगीं। अर्थात् सेवारत अभ्यर्थी सभी शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प अपनी प्राथमिकतानुसार चयन करने के उपरांत ही निजी नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय का विकल्प भर सकेंगे।
- (4) अग्रेषण प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए संचालक चिकित्सा शिक्षा छ.ग. एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ छ.ग. से है।

## 08. काउन्सिलिंग शुल्क :-

- (1) ऑनलाईन काउंसिलिंग शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी हेतु राशि रूपये 1000/- (एक हजार मात्र) तथा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु राशि रूपये 500/- (पांच सौ मात्र) संचालक स्वास्थ्य सेवायें को देय होगी।
- (2) यदि अभ्यर्थी द्वारा राज्य के ऑनलाईन आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है, तो ऑनलाईन पंजीयन की अंतिम तिथि के पूर्व संशोधन शुल्क रू. 1000/- (एक हजार मात्र) ऑनलाईन जमा कर संशोधन कर सकेंगे। किन्तु निर्धारित समयावधि उपरांत किसी भी प्रकार का परिवर्तन कार्यालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा।
- (3) शुल्क जमा हेतु Debit Cards/Credit Cards/Internet Banking ही मान्य होंगे तथा अतिरिक्त शुल्क जमा होने पर रिफण्ड जमाकर्ता खाते में ही वापस किया जा सकेगा।
- (4) यदि ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit भी कर चुके हैं, तथा ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो, परिवर्तन हेतु एडीट (Edit) शुल्क रू. 1000/- (रू. एक हजार मात्र) जमा कर, ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक परिवर्तन कर सकेंगे। आवेदन में Edit Option का लाभ भी आपके द्वारा दिये गये ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर अपरिवर्तनीय होगा।
- (5) आवेदन शुल्क का भुगतान अंतिम तिथि से कम से कम 36 घण्टे पूर्व कर दें, चूंकि बैंक गेटवे इत्यादि संबंधित जटिलताओं से कई बार ऑनलाईन किये गये भुगतान का क्लीयरेंस (clearance) 24 घण्टे ले लेता है। अन्यथा समय-सीमा में आवेदन करने हेतु दो बार ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करना पड़ता है। यद्यपि अतिरिक्त पंजीयन शुल्क यदि उपरोक्त अतिरिक्त पंजीयन शुल्क यदि उपरोक्त उल्लेखित जटिलताओं के कारण जमा हो जाता है तो, यह राशि वापस योग्य है।

## 09. ऑनलाईन पंजीयन हेतु आवश्यक जानकारी :-

- (1) ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व छत्तीसगढ़ नर्सिंग प्रवेश नियम, 07 मई 2019 एवं संशोधन दिनांक 02 फरवरी 2022 का पूर्णतः अध्ययन करके ही प्रक्रिया में सम्मिलित हों, विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बाण्ड इत्यादि।
- (2) ऑनलाईन आवेदन के साथ ही संस्था का चयन भी करे, क्योंकि संस्था चयन (Choice) हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।
- (3) यदि मॉप-अप राउण्ड की सूचना जारी होने पर कम समय की संभावना बनी रहती है, अतः लगातार नियमित वेबसाइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) का अवलोकन करें एवं समस्त दस्तावेजों की स्क्रीनशॉट्स एवं प्रवेश प्रक्रिया देखें, छत्तीसगढ़ नर्सिंग प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (बीस) का दस्तावेज सूची का अवलोकन करें तथा ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध रखें।
- (4) यदि ऑनलाईन आवेदन में कोई भी त्रुटि (जैसे- अपूर्ण आवेदन/पंजीयन फीस का गेटवे से जमा न होना इत्यादि) होने पर आप अपात्र हो जाते हैं। अतः ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि से 24 घंटे पूर्व कार्यवाही पूर्ण करना एक सुरक्षित प्रक्रिया है।
- (5) प्रथम काउंसिलिंग में आबंटित अभ्यर्थियों को संवीक्षा कराना एवं पात्र होना आवश्यक है तथा शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा अन्यथा अपात्र हो जायेंगे। (छत्तीसगढ़ नर्सिंग प्रवेश नियम 2019 के नियम 9 (नौ) )
- (6) ऑनलाईन आवेदन पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु काउंसिलिंग शेड्यूल (Counseling Schedule) का अवलोकन करें।


## 10. नोट :-

1. उपरोक्त सूचना में नियम की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई किन्तु सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया नियम हेतु "छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019" का अवलोकन पूर्णतः करें।
  2. ऑनलाईन काउंसिलिंग से संबंधित प्रक्रिया, प्रवेश नियम एवं सीटों की विस्तृत जानकारी व अन्य जानकारियों के लिये विभागीय वेब साइट [www.cghealth.nic.in](http://www.cghealth.nic.in) पर निरंतर संपर्क में रहे। नई सूचनायें इसी वेब-साइट पर समय-समय पर जारी की जायेगी।
  3. आवेदन में Edit Option का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिये गये ई-मेल एवं मोबाईल नम्बर अपरिवर्तनीय होगा।
  4. सभी निजी नर्सिंग महाविद्यालय का आबंटन भी संचालक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अतः प्रवेश संबंधित कार्यवाही हेतु किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।
  5. अभ्यर्थी प्रवेश नियम, ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया आदि की सूक्ष्मता से अध्ययन कर काउंसिलिंग में सम्मिलित हों। आवश्यकता पड़ने पर सहायता हेतु दूरभाष क्रमांक 0771-2511305 पर संपर्क कर सकते हैं।
  6. चयनित अभ्यर्थियों को, अभिलेख सत्यापन (Document verification) में पात्र होने पर ही आबंटित संस्थाओं में प्रवेश दिया जावेगा।
- अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, का पत्र क्रमांक/एफ 10-06/2019/नौ/55-4 नवा रायपुर, दिनांक 14.02.2023

11. जनरल नर्सिंग मिडवायफरी मिडवायफरी (GNM) ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु समय-सारिणी निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	तिथि एवं समय
1	ऑनलाईन आवेदन/फार्म भरने की प्रारंभ तिथि (Online Registration/ Form Submission)	दिनांक 11.09.2023 प्रातः 11:00 बजे से
2	ऑनलाईन आवेदन/फार्म भरने की अंतिम तिथि (Last date of Online Form Submission)	दिनांक 18.09.2023 सायं 4:00 बजे तक
3	प्रवीण्य सूची का वेब साइट पर प्रकाशन (Publication of Merit List on website) एवं प्रथम आबंटन सूची (First Allotment List)	दिनांक 20.09.2023 से दिनांक 22.09.2023
4	स्क्रुटनी एवं फिट उम्मीदवारों की प्रवेश प्रक्रिया (Scrutiny and Admission process of scrutiny fit candidates)	दिनांक 25.09.2023 से दिनांक 27.09.2023
5	द्वितीय आबंटन सूची का प्रकाशन (Publication of 2nd allotment List)	दिनांक 03.10.2023
6	स्क्रुटनी एवं फिट उम्मीदवारों की प्रवेश प्रक्रिया (Scrutiny and Admission process of scrutiny fit candidates)	दिनांक 05.10.2023 से दिनांक 07.10.2023
7	मॉप-अप राउण्ड के लिए च्वाइस फिलिंग (Choice Filling for Mop Up Round)	दिनांक 09.10.2023 से दिनांक 11.10.2023
8	मॉप-अप आबंटन का प्रकाशन (Publication of Mop Up Allotment)	दिनांक 13.10.2023 से दिनांक 16.10.2023
9	स्क्रुटनी एवं फिट उम्मीदवारों की प्रवेश प्रक्रिया (Scrutiny and Admission process of scrutiny fit candidates)	दिनांक 17.10.2023 से दिनांक 19.10.2023
10	रिक्त सीटों के लिए विद्यार्थियों की सूची अग्रेषित करना (Forwarding List of Students for Stray Vacancy)	दिनांक 20.10.2023 से दिनांक 25.10.2023
11	रिक्त सीट पर प्रवेश (Vacant Vacancy Admission)	दिनांक 27.10.2023 से दिनांक 31.10.2023

(टीप -जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र 2023-24 पूर्णतः ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया है जिसमें कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी एवं कार्यालय अवकाश दिवस में ऑनलाईन काउंसिलिंग की प्रक्रिया की जा सकती है। )

  
 संचालक  
 स्वास्थ्य सेवायें  
 छत्तीसगढ़

परिशिष्ट "अ"

शासकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की सीटों का आरक्षण सत्र 2023-24

क्र.	जिला	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम एवं पता	कुल सीट संख्या	80%	सामान्य अभ्यर्थी हेतु (80%) आरक्षित सीट				20%	सेवारत अभ्यर्थी हेतु (20%) आरक्षित			
					UR	SC	ST	OBC		UR	SC	ST	OBC
1	दुर्ग	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, जिला चिकित्सालय परिसर के पास, दुर्ग	30	24	17	3	1	3	6	4	1	0	1
2	रायपुर	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, नूतन स्कूल के पास, टिकरापारा, रायपुर	20	16	10	3	1	2	4	2	1	0	1
3	बिलासपुर	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, नया जिला चिकित्सालय, पुराना बस स्टैण्ड, बिलासपुर	25	20	9	3	5	3	5	2	1	1	1
4	जांजगीर	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, जिला चिकित्सालय के पास, जांजगीर-चांपा	40	32	17	7	4	4	8	4	2	1	1
5	जगदलपुर	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, महारानी अस्पताल परिसर, सिविल सर्जन ऑफिस के सामने जगदलपुर, बस्तर	25	20	3	1	13	3	5	1	0	3	1
6	कांकेर	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, न्यू डेडिकेटेड कोरोना केयर हॉस्पिटल के पीछे, इमलीपारा, उ.ब. कांकेर	40	32	9	1	18	4	8	3	0	4	1
7	नारायणपुर	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, जिला चिकित्सालय परिसर, कलेक्टोरेट रोड, नारायणपुर	40	32	4	1	23	4	8	1	0	6	1
8	महासमुंद	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र महासमुंद	50	40	18	5	11	6	10	5	1	3	1
9	धमतरी	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, जिला चिकित्सालय के पीछे, डाकबंगला वार्ड, धमतरी	30	24	13	2	6	3	6	3	0	2	1
10	कोरबा	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, राजेन्द्र प्रसाद नगर, प्लॉट नं. 1951, मीरा उद्यान, कोरबा	30	24	9	2	10	3	6	1	1	3	1
11	सरगुजा	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, जिला चिकित्सालय परिसर के पास, अम्बिकापुर, सरगुजा	50	40	9	2	23	6	10	2	1	6	1
12	जशपुर	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, सी.एम.एच.ओ. आफिस के पास, जशपुर	40	32	6	2	20	4	8	2	0	5	1
13	कोण्डागांव	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, डी.एस.के. कॉलोनी, कोण्डागांव	30	24	3	1	17	3	6	1	0	4	1
14	दंतेवाड़ा	शासकीय जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र, पो.आ.-कारली, ब्लॉक-गीदम, दंतेवाड़ा	30	24	2	1	18	3	6	0	0	5	1
<b>योग</b>			<b>480</b>	<b>384</b>	<b>129</b>	<b>34</b>	<b>170</b>	<b>51</b>	<b>96</b>	<b>31</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>14</b>

**परिशिष्ट "ब"**

**निजी जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों की शासकीय नियतांश एवं प्रबंधन (ओपन) सीटों का आरक्षण सत्र 2023-24**

क्र.	जिला	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल सीट संख्या	शासकीय नियतांश (40%)					प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) (60%)				
				(40%)	UR	SC	ST	OBC	(60%)	UR*	SC	ST	OBC
1	बलरामपुर	डिवाइन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, डी.ए.वी. स्कूल, ग्राम प्रेमनगर, रामानुजगंज रोड, तह. वाड्डफनगर, बलरामपुर	30	12	2	1	7	2	18	3	1	11	3
2	बलरामपुर	अशरफी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग भारत पेट्रोल पंप के पास, चंदो रोड, बलरामपुर	30	12	2	1	7	2	18	3	1	11	3
3	बिलासपुर	सी.जी. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, उस्तापुर ब्रिज के पास, ग्राम-सकरी, मुंगेली रोड, नेचर सिटी परिसर, बिलासपुर	30	12	5	2	3	2	18	8	3	4	3
4	बिलासपुर	आयुष कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लालखदान रेलवे गेट के पास, एन.एच. 200, मस्तुरी रोड, बिलासपुर	30	12	5	2	3	2	18	8	3	4	3
5	बिलासपुर	सी.जी. स्कूल ऑफ नर्सिंग, द्रोणा बचपन पब्लिक स्कूल कैम्पस, कानन पेण्डारी जू के सामने, ग्राम सकरी, कोटा रोड, बिलासपुर	30	12	5	2	3	2	18	8	3	4	3
6	दंतेवाड़ा	गायत्री कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बैलाडीला बचेली, कुम्हाररास, दंतेवाड़ा	40	16	1	1	12	2	24	2	1	18	3
7	दुर्ग	अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वेटेनरी महाविद्यालय के सामने, अंजोरा, दुर्ग	40	16	11	2	1	2	24	17	3	1	3
8	दुर्ग	रस्तोगी कालेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड सुपेला, भिलाई, दुर्ग	40	16	11	2	1	2	24	17	3	1	3
9	दुर्ग	सांदीपनी एकेडमी, ग्राम- अछोटी, पोस्ट मुरमुंदा, दुर्ग	40	16	11	2	1	2	24	17	3	1	3
10	दुर्ग	श्रेयस स्कूल ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड सुपेला, भिलाई दुर्ग	30	12	7	2	1	2	18	11	3	1	3
11	दुर्ग	श्री चन्द्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वार्ड न. 60, गली न. 05, पुष्पक नगर, दुर्ग	40	16	11	2	1	2	24	17	3	1	3
12	जगदलपुर	गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग शिव मंदिर वार्ड नं. 03 नया पुल, पनरापारा, डोंगाघाट, जगदलपुर	30	12	2	0	8	2	18	4	0	11	3
13	जगदलपुर	जगदलपुर इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, आदेश्वर एकेडमी परिसर, अड़वाल, जगदलपुर, बस्तर	30	12	2	0	8	2	18	4	0	11	3

क्र.	जिला	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल सीट संख्या	शासकीय नियतांश (40%)					प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) (60%)				
				(40%)	UR	SC	ST	OBC	(60%)	UR*	SC	ST	OBC
14	जशपुर	अपार इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, लोयोला कैम्पस, कुनकुरी, जशपुर	30	12	2	1	7	2	18	3	1	11	3
15	कांकेर	कालिंदी एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंसेस, राजापारा, कांकेर	30	12	3	0	7	2	18	4	1	10	3
16	कोरिया	ए.के. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, एल.आई.सी. बिल्डिंग के सामने, मनेन्द्रगढ़ कोरिया	30	12	4	1	5	2	18	6	1	8	3
17	कोरिया	के.बी.पटेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग नागपुर रोड, चिरमिरी, कोरिया	40	16	6	1	7	2	24	8	2	11	3
18	कोरिया	रजवाड़े इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग वार्ड नं. 5 हर्रापारा बैकुण्ठपुर कोरिया	20	8	2	1	4	1	12	4	1	5	2
19	कोण्डागांव	कोंडागांव कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बाजार चौक, पानी टंकी के पास, कोण्डागांव	20	8	1	0	6	1	12	2	0	8	2
20	महासमुंद	फेलोशिप स्कूल ऑफ नर्सिंग, तुमगांव रोड, महासमुंद	30	12	7	1	3	1	18	8	2	5	3
21	महासमुंद	कालिंदी एकेडमी ऑफ नर्सिंग साइंसेस, वार्ड नं. 20, आर्शीवाद लॉज के सामने गंजपारा, महासमुंद	40	16	8	2	4	2	24	12	3	6	3
22	रायगढ़	कैरियर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेट्रो हास्पिटल के पास, पहाड़ मंदिर रोड, रायगढ़	25	10	4	1	4	1	15	6	2	5	2
23	रायगढ़	मॉ मंगला कॉलेज/स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्राम लोहारसिंग, कोंडातराई, पो.आ./जिला - रायगढ़	40	16	6	2	6	2	24	10	3	8	3
24	रायपुर	प्रतिभा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्राम खुटेरी, पो. गोधी, थाना मंदिर हसौद, रायपुर	40	16	10	3	1	2	24	16	4	1	3
25	रायपुर	सी.जी. कॉलेज/स्कूल ऑफ नर्सिंग, सेक्टर-2, बजाज कॉलोनी, न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर	40	16	10	3	1	2	24	16	4	1	3
26	रायपुर	ग्रेसियस कॉलेज/स्कूल ऑफ नर्सिंग, ग्राम बेलभाठा, पो. आ. जामगांव, थाना एवं तालुका, अभनपुर, रायपुर	60	24	16	4	1	3	36	24	6	1	5
27	रायपुर	दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सत्य विहार, विधानसभा चंदखुरी मार्ग, ग्राम-पचेड़ा, तह. आरंग, रायपुर	30	12	8	2	0	2	18	11	3	1	3



क्र.	जिला	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	कुल सीट संख्या	शासकीय नियतांश (40%)					प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) (60%)				
				(40%)	UR	SC	ST	OBC	(60%)	UR*	SC	ST	OBC
28	रायपुर	माँ मंगला जी.एन.एम. ट्रेनिंग सेंटर, ग्राम डुंडा, पुराना धमतरी रोड, रायपुर	40	16	10	3	1	2	24	16	4	1	3
29	राजनांदगांव	सेन्ट्रल इंडिया कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जी.ई. रोड देवादा चौक कोपेडीह रोड, ग्राम-देवदा, राजनांदगांव	40	16	8	2	4	2	24	18	2	3	1
30	राजनांदगांव	मयाराम स्कूल ऑफ नर्सिंग, लाल भिष्मदेव चौक, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव	40	16	8	2	4	2	24	18	2	3	1
31	सूरजपुर	इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च सेन्टर, भरूहामुड़ा रोड कृष्णपुर (कलुवा) एम.जी. रोड, सूरजपुर	30	12	4	1	5	2	18	7	0	8	3
32	सूरजपुर	वी.एम. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जैनगर पुलिस थाना के सामने, रेलवे स्टेशन के पास, विश्रामपुर, सूरजपुर	30	12	4	1	5	2	18	7	0	8	3
33	सरगुजा	लक्ष्य कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सीतापुर, सरगुजा	30	12	2	1	7	2	18	5	0	10	3
34	सरगुजा	आसरा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, ग्राम रहाडीह, तह. लुंझा, रघुनाथपुर, सरगुजा	30	12	2	1	7	2	18	5	0	10	3
35	सरगुजा	वी. केयर नर्सिंग कॉलेज/ स्कूल, कांतिप्रकाशपुर, अम्बिकापुर सरगुजा	60	24	6	1	14	3	36	8	2	21	5
36	सरगुजा	छत्तीसगढ़ कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्रज्ञा भवन, रिंग रोड, अम्बिकापुर सरगुजा	40	16	4	1	9	2	24	6	1	14	3
<b>योग</b>			<b>1255</b>	<b>502</b>	<b>210</b>	<b>54</b>	<b>168</b>	<b>70</b>	<b>753</b>	<b>339</b>	<b>71</b>	<b>238</b>	<b>105</b>

\* निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) के अनारक्षित श्रेणी में राज्य मूल निवासी एवं अन्य राज्य के अभ्यर्थी प्रावीण्यतानुसार आबंटन प्राप्त कर सकते हैं।

**अल्पसंख्यक निजी नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की नियतांश एवं प्रबंधन (ओपन) सीटों का विवरण, जिसमें आरक्षण लागू नहीं होंगे :-**

37	जशपुर	स्कूल ऑफ नर्सिंग, हॉलीक्रास हॉस्पिटल कुनकुरी, जशपुर	40	12	12 सीटें शासकीय नियतांश (30%) (सीटें अपरिवर्तनीय होंगी)				28	28 सीटें प्रबंधन नियतांश (ओपन सीट) (70%) (अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के आपसी प्रावीण्यतानुसार प्रवेश दिया जा सकेगा)			
----	-------	---	----	----	---	--	--	--	----	---	--	--	--

<b>निजी एवं अल्पसंख्यक सीटों का महायोग</b>			<b>1295</b>	<b>514</b>	<b>210</b>	<b>54</b>	<b>168</b>	<b>70</b>	<b>781</b>	<b>339</b>	<b>71</b>	<b>238</b>	<b>105</b>
--	--	--	-------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	------------